न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—485/2019/223 (2019/00485)

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. शंकरलाल बैरवा पुत्र लादूराम बैरवा, जाति बैरवा, निवासी बैरवा की ढाणी, ग्राम रामपुरा ऊंती, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
2. नेमीचन्द पुत्र स्व0 कालू, जाति खटीक, निवासी झाग, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू दिनांक 5.11.2014 अंतर्गत वाद संख्या (83/2012) 122/2013.

उपस्थितः—

1. श्री विकास पारासर, राजकीय अधिवक्ता वकील अपीलांट ।
2. श्री बी0एल0 शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः— 24.12.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.11.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 2 ने अधी0न्याया0 में वाद बाबत् घोषणात्मक खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झाग तहसील मौजमाबाद के आराजी खसरा नंबर 959 व 2480/959 कुल किता 2 कुल रकबा 3.79 है0 आराजियात जिसके साबिक खसरा नंबर 829/1 रकबा 15 बीघा है, साबिक खसरा नंबर 829 का कुल रकबा 72 बीघा 14 बिस्वा रहा है जिसका समय—समय पर विभिन्न आवंटियों को आवंटन हुआ है । वादी के दादा सुवा पुत्र लक्ष्मण को खसरा नंबर 829 में से 15 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 22.4.1961 को हुआ था जिसके अनुरूप आवंटी मौके पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है और आवंटी के हक में नामांतकरण संख्या 213 द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी का अमल राजस्व रिकार्ड में हो गया । आवंटी के स्वर्गवास के पश्चात् नामांतकरण संख्या 359 दिनांक 7.12.1978 को वादी के पिता कालू पुत्र सुवा के हक में विरासत का तस्दीक हुआ तथा सुवा के आवंटनशुदा भूमि पर वादी का पिता कालू काबिज रहा । कालू के स्वर्गवास के पश्चात् नामांतकरण संख्या 524 द्वारा बीला पत्नी सुवा के हक में नामांतकरण दिनांक 21.1.1986 को तस्दीक किया गया । तत्पश्चात् उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित भूमि का खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

काश्तकार घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 5.11.2014 को वादी का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । नामांतकरण संख्या 524 दिनांक 27.1.1986 के अनुसार कालू पुत्र सुवा की फौती पर उसकी माता मु0 बीला बेवा सुवा कौम खटीक सा0देह के नाम दर्ज हुआ था । बीला बेवा सुवा खटीक सा0 झाक द्वारा आराजी खसरा नंबर 829 रकबा 15 बीघा का स्वेच्छा से उक्त भूमि को राजहित में समर्पण करने का प्रार्थना पत्र दिये जाने पर कार्यालय तहसीलदार, मौजमाबाद के आदेश कमांक एलआर/85/5618 दिनांक 28.12.1985 के अनुसार नामांतकरण संख्या 527 दिनांक 4.2.1986 द्वारा उक्त आराजियात सिवायचक लगानी राजकीय खाते में दर्ज की गई। नामांतकरण संख्या 744 दिनांक 29.11.1995 से उक्त भूमि को ग्राम झाग वृक्ष उत्पादक सहकारी समिति लि0 झाग के नाम 25 वर्ष की अवधि के लिये लीज हेतु तस्दीक किया गया । जिला कलक्टर द्वारा झाग वृक्ष उत्पादक सहकारी समिति लि0 झाग के नाम दर्ज नामांतकरण को निरस्त कर पुनः उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान करने पर उक्त आदेश की पालना में नामांतकरण संख्या 1168 दिनांक 4.7.2006 को उक्त भूमि सिवायचक दर्ज की गई है । उक्त भूमि वृक्ष उत्पादन सहकारी समिति लि0 को आवंटन होने पर तत्कालीन समय में समिति द्वारा वृक्षारोपण का कार्य मौके पर किया गया । आवंटी का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा था । मु0 बीला बेवा सुवा कौम खटीक ने उक्त भूमि स्वेच्छा से राजहित में समर्पण किये जाने से विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज किया गया था । इसके बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा विवादित भूमि की खातेदारी वादी को दिये जाने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के अनुकूल नहीं होने से खारिज योग्य है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय के संबधं में जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्राप्त होने पर अविलंब यह अपील पेश की गई है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादी के दादा सुवा पुत्र लक्ष्मण को खसरा नंबर 829 में से 15 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 22.4.1961 को हुआ था जिसके अनुरूप आवंटी मौके पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है और आवंटी के हक में नामांतकरण संख्या 213 द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी का अमल राजस्व रिकार्ड में हो गया । आवंटी के स्वर्गवास के पश्चात् नामांतकरण संख्या 359 दिनांक 7.12.1978 को वादी के पिता कालू पुत्र सुवा के हक में विरासत का तस्दीक हुआ तथा सुवा के आवंटनशुदा भूमि पर वादी का पिता कालू काबिज रहा । कालू के स्वर्गवास के पश्चात् नामांतकरण संख्या 524

द्वारा बीला पत्नी सुवा के हक में नामांतकरण दिनांक 21.1.1986 को तस्दीक किया गया था जबकि कालू की विरासत पर कालू के जायंदा वारिस के नाम भी नामांतकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था । इस कारण नामांतकरण संख्या 524 बिना विधिक वारिसान की जांच किये स्वीकृत किये जाने से उक्त नामांतकरण अवैध था तथा ऐसे अवैध नामांतकरण के आधार पर बीला द्वारा विवादित भूमि का राज्यहित में समर्पण किया गया है जो भी अवैध है क्योंकि उक्त भूमि में संपूर्ण हिस्सा बिला का नहीं होकर वादी का भी था । बीला को संपूर्ण भूमि राज्यहित में समर्पित किये जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । यह भी कथन किया कि प्रतिवादी/राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई लिखावट पेश नहीं की गई जिससे यह साबित हो कि बीला द्वारा विवादित आराजियात राज्यहित में समर्पित की गई हो । नामांतरण संख्या 527 षड़यंत्रपूर्वक भरा जाना पाये जाने से अधी0न्याया0 ने वादी/रेस्पो0 का वाद स्वीकार किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । साबिक खसरा नंबर 829 का कुल रकबा 72 बीघा 14 बिस्वा था जिसमें से वादी के दादा सुवा पुत्र लक्ष्मण को खसरा नंबर 829 में से 15 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 22.4.1961 को किया गया था । उक्त आवंटन की पालना में आवंटी के हक में नामांतकरण संख्या 213 गैर खातेदारी का दर्ज किया गया । तत्पश्चात् आवंटी का स्वर्गवास होने पर उसकी विरासत का नामांतकरण संख्या 359 दिनांक 7.12.1978 को वादी के पिता कालू पुत्र सुवा के हक में तस्दीक किया गया । कालू पुत्र सुवा के स्वर्गवास होने पर विवादित आराजी जरिये नामांतकरण संख्या 524 दिनांक 21.1.1986 को बीला पत्नि सुवा के हक में दर्ज की गई है । अधी0न्याया0 की पत्रावाली के पृष्ठ संख्या 51 पर उपलब्ध कार्यालय तहसीलदार, भू0अ0 दूदू के पत्र क्रमांक एल0आर0/85/5618 दिनांक 28.12.1985 का अवलोकन किया गया । उक्त पत्र तहसीलदार ने पटवारी हल्का झाग को प्रषित कर निर्देश निर्देश दिये है कि " बीला पत्नि सुवा ने खसरा नंबर 829/3 रकबा 15 बीघा का स्वेच्छा से त्याग पत्र देने पर मेरे द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । अतः आपको लेख है कि ग्राम झाग के खसरा नंबर 829/3 रकबा 15 बीघा का प्रार्थिया के हक से राजहित में सिवायचक का नामांतकरण नियमानुसार खोल कर फैसल करवाया जावे तथा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में सिवायचक का अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश की जावे । " तहसीलदार, दूदू के उक्त पत्र की पालना में नामांतकरण संख्या 527 दिनांक 4.2.1986 द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 829/3 रकबा 15 को सिवायचक दर्ज किया गया है । अपीलांट द्वारा विवादित भूमि जरिये नामांतकरण संख्या 524 दिनांक 21.1.1986 से बीला पत्नि सुवा के नाम दर्ज करने तत्पश्चात् बीला द्वारा विवादित आराजी का स्वेच्छा से राजहित में इस्तिफा देने के उपरांत तस्दीक नामांतकरण संख्या 527 दिनांक दिनांक 4.2.1986 के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने की दिनांक तक चुनौती क्यों नहीं दी गई इस

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

संबंध में वादी/अपीलांट द्वारा कोई ठोस एवं संतोषप्रद कारण अपने वादपत्र एवं अपील में पेश नहीं किये है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी सिवायचक दर्ज होने के उपरांत जरिये नामांतकरण संख्या 744 दिनांक 29.11.1995 को ग्राम झाग वृक्ष उत्पादक सहकारी समिति लि0 झाग के नाम 25 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर दी गई थी किन्तु बाद में जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाने पर विवादित भूमि पुनः जरिये नामांतकरण संख्या 1168 दिनांक 4.7.2006 को सिवायचक दर्ज की गई है। अपीलांट का कथन रहा है कि उक्त अवधि में वृक्ष उत्पादन सहकारी समिति लि0 झाग द्वारा विवादित भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया था तथा विवादित भूमि पर वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का कब्जा काश्त नहीं रहा है । अपीलांट/वादी ने स्वंय को सुवा का पौत्र होने के आधार पर वाद पेश किया है किन्तु इस संबंध में वादी ने कोई प्रमाणित सजरा भी पेश नहीं किया है । अधी0न्याया0 को वादी/अपीलांट मृतक खातेदार सुवा का विधिक वारिस है अथवा नहीं तथा वादी का विधिक वारिस की हैसियत से विवादित आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है, के संबंध में जांच कर वाद में निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने इन तथ्यों पर जांच किये बिना वाद को निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.11.2014 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे वाद में उपरोक्त विवेचन के क्रम में तनकी कायम करे कि क्या वादी/अपीलांट मृतक खातेदार सुवा का विधिक वारिस है अथवा नहीं तथा उसका विधिक वारिस की हैसियत से विवादित आराजी पर निरन्तर कब्जा काश्त रहा है । तत्पश्चात् उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 24-12-2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर